(17) (16)

CF 6/15/-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्र. क्रं. /99 नि.

1. मातादीन पुत्र रंजोर सिंह
2. महिला श्री देवा रंजोर सिंह
निवासीगण ग्राम फूलपुर तहसील नरवर
3. राजपति पत्नी प्रतापभान
निवासी ग्राम सोनारी तहसील नरवर
4. गुड्डी पत्नी सुरेश निवासी ग्राम मसूदपुर
तहसील भितरवार
5. कपूरी पत्नी बृजमोहन
निवासी ग्राम सबंलनी तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

R.484-चार/99

क्रमांक.........
श्री .... द्वारा आज दिनांक 15/3/99
को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. रघुवीर पुत्र चितर सिंह
निवासी ग्राम फूलपुर तह. नरवर
-- असल रिस्पो.

2. रामस्वरूप पुत्र रंजोर सिंह
निवासी ग्राम फूलपुर तह. नरवर
--- तरतीबी रिस्पो.

25-3-99

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, आदेश दिनांक 24.11.98 पारित प्र. क्रं. 256/97-98 अ०, निगरानी, अन्तर्गत धारा 50 रे. को.

श्रीमान्,

निगरानी प्रार्थीगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयका आदेश विधि के विपरीत तथ्य परवर्स होने से निरसन योग्य है ।

...2.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 484–चार/99 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-7-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ओ0पी0 शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्र0 256/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 24.11.98 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम फूलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 183, 184, एवं 185 कुल किता 3 रकबा 1.25 हैक्टेयर आवेदकगण के अधिपत्य की भूमि है । इसमें आवेदकगण का कुआं खुदा हुआ है । यह भूमि सर्वे क्रमांक 186 व 187 रकबा 4 हैक्टेयर से लगी हुई है, जिसका 0.20 हैक्टेयर कम हो गया है । रकबा की पूर्ति करने बावत् आवेदकगण द्वारा आवेदन–पत्र नायब तहसीलदार परगना के न्यायालय में पेश किया गया । जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.96 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र अस्वीकार कर, अनावेदक के पक्ष में आदेश जारी किया गया । तहसील न्यायालय के	

इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना करैना के समक्ष अपील पेश की गई जो प्रकरण क्र0 60/95--96/अपील पर दर्ज होकर दिनांक 27.04.98 को अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी परगना, करैरा के आदेश दिनांक 27.04.98 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय अपर आयुक्त के यहॉ प्रकरण क्रमांक 256/97--98/अपील पर पंजीबद्ध किया गया, जिसे आदेश दिनांक 24.11.98 को अस्वीकार किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 24.11.98 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना नहीं दी गई और न ही सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किये जाने के संबंध में कोई भी जानकारी आवेदकगण को नहीं दी गई । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि अनावेदक ने क्र0 1 ने पूर्व में सर्वे क्रमांक 185 रकबा .80 आवेदकगण के स्वत्व को मान्य करते हुये तहसील न्यायालय में धारा 169, 190 एवं 110 रे0 को0 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका प्र0क्र0

10/87–88/अ–6–अ था । अनावेदक क्र0 1 अपनी उक्त स्वीकृति से बाध्य है और अनावेदक के विरूद्ध स्टोप्ल का सिद्धांत लागू होता है । अनावेदक क्र0 2 को न तो आवेदकगण ने कोई अधिकार दिये थे और न ही उसकी उपस्थिति आवेदकगण की उपस्थिति मानी जा सकती है । इन बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार ही नहीं किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगण के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय में किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर नहीं की गई थी । इस प्रकार तहसील न्यायालय का आदेश उभयपक्ष की सहमति पर ही आधारित था अथवा सहमति का आदेश था। अनुविभागीय अधिकारी परगना, करैरा ने तहसील न्यायायल के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ अभिलेख में यह भी पाया गया है कि राजस्व निरीक्षक की स्थल जांच के समय आवेदक क्र0 1

उपस्थित रहा और इसके उपरांत तहसील न्यायालय में जाचं प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी ओर से और न अन्य की ओर से कोई आपत्ति की गई । अतः तहसील न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आदेश सहमति का आदेश है । इसके उल्लेख में न्यायिक दृष्टांत भी प्रतिपादित हुये है जैसे– नाथूलाल विरूद्ध देवीलाल 1978(2) मध्यप्रदेश वीकली नोट्स 222 (उच्च न्यायालय), हिसाबीलाल विरूद्ध मंगी 1978 रा0नि0 222 और कमला देवी विरूद्ध महाराज देवेन्द्र सिंह 1964 रा0नि0 109 में प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96(3) के अनुसार पक्षकारों के बीच सहमति द्वारा पारित किया गया आदेश ग्राह्य योग्य नहीं होता है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने आदेश दिनांक 24.11.98 से अनुविभागीय अधिकारी परगना के आदेश और नायब तहसीलदार परगना के आदेश की पुष्टि की है । मैं भी अपर आयुक्त परगना के द्वारा पारित किये गये आदेश से सहमत हूँ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अतः तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.96, अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.98

एवं अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश 24.11.98 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत निरगानी खारिज की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो ।

सदस्य